



<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट लॉरीज के साथ</p>	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p>	<p>आदेश की कम संख्या और तारीख</p>
<p>अभिलेख उपस्थापित। अबल अधिकारी, खरसावाँ के पत्रांक-714, दिनांक-28.08.2020 द्वारा दिनांक 27.08.2020 को हुए सीमांकन से संबंधित पत्रनामा जा कूल-05 पत्र में है समर्पित किया गया है।</p> <p>संलग्न पत्रनामा के अर्जसार सीमांकन वाद सं-62/19-20 में वर्णित मीम मीमा-खलासीसाई, थाना सं-151, खाला सं-80, खरसा सं-698/अक्ष, रकबा-97 डी0 मीम का सीमांकन में पक्षकार नव किशोर सिंहदेव, अन्य पक्ष के पक्षकार भारती पाण्डेय, स्थानीय थामीणी, बाहदुदीदार, अबल अधिकारी, खरसावाँ, अबल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, पुलिस बल एवं अन्य समी की उपस्थिति में शान्तिपूर्ण विधि व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मापी कार्य सम्पन्न की गई (संलग्न)। दिनांक-31.08.2020 को जिला में अर्जन अमीन श्री शक्तिपद सहली द्वारा मापी प्रतिवेदन, देश नवशा के साथ संलग्न किया गया है। जिसमें भी प्रतिवेदित किया गया है कि कार्यलय जापक-2132/सं-17.08.2020 के आलाक में मीमा-खलासीसाई, थाना नं-151, खाला सं-80, खरसा सं-698 अक्ष रकबा-0.97 एकड़ अर्थात 97 डी0 मीम का सीमांकन हुए दिनांक 27.08.2020 को अबल अधिकारी, खरसावाँ, अबल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, अबल अमीन, थाना-खरसावाँ के पुलिस बल की देख रेख में उक्त खाला खरसा से संबंधित देयती तथा बाहदुदीदार एवं थामीणी की उपस्थिति में सीमांकन के लिए खाला सं-80, खरसा सं-698, रकबा-0.97 एकड़ अक्ष का मापी शान्तिपूर्ण एवं विधि व्यवस्था के साथ किया गया (संलग्न)। दिनांक-28.08.2020 को</p>	<p>28/08/2020 31.08.2020</p>	

आदेश पत्रांक सं-110 जिला-सरायकला-खरसावाँ
 सीमांकन अधील वाद सं-01/2020-21
 कस का प्रकार - भारती पाण्डेय, पति रब0 थामी पाण्डेय, थाम+पं10-खरसावाँ
 वनाम नवकिशोर सिंहदेव, थाम+पं10- खरसावाँ एवं अन्य।

अपर उपर्युक्त का न्यायालय, सरायकला-खरसावाँ।
 आदेश फलक

संस्था-खरसावा
अपर उपायक

31/8/20
[Signature]

संस्था-खरसावा
अपर उपायक

[Signature]

अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

प्रति के साथ बापस करे।
 आधिका, खरसावा को मूल सीमांकन अभिलेख आदेश
 की सही प्रतिलिपि विहित प्राप्त कर सकते है। अबल
 खरसावा किया जाता है। उभय पक्ष बाहे तो इस आदेश
 पाठ्य द्वारा नापी पर किये गये आपत्ति आवदन पर
 साथ वाद दापर कर सकते है। अतएव इस प्रकार भारतीय
 न्यायालय में आपत्तिकर्ता विहित योग्य कारणों के
 निजी मूखण्ड पर कार्य में रोक लगाने हेतु सहम
 जहाँ तक कार्य रोकने का अनुरोध है तो किसी स्थल के
 या न करने के संदर्भ में नियमानुसार निर्णय लेंगे। और
 आदि मामलों के संदर्भ में सत्यापन उपरान्त नापी कराने
 अबल आधिका दस्तावेजों की सत्यापन / न्यायालयीय
 विहितमूल आवदन समर्पित किया जा सकता है, जिसपर
 सही अनुरोध है तो इस हेतु अबल कार्यालय में
 50-688 रकबा-335 एकड़ मूँस का नापी कराने से
 खलसीसाई, थाना 50-151, खाला 50-135, खसरा
 में असागिस्टि जाहिर की है। जहाँ तक मौजा-
 आशादास की भी सहमति होगी। परन्तु इन्होंने पुन नापी
 न्यायालय में पक्ष रखा गया था कि पुन नापी से अन्य
 पाठ्य द्वारा लिखित रूप में असाहस्तबासी के
 दिनांक 17.08.2020 को इनके पुन श्री नन्द कुमार
 समान हुआ है। बादी के वृद्ध बीमार होने के कारण
 कि नापी सही सखित के उपस्थिति में शान्तिपूर्व
 आधिका, खरसावा द्वारा प्राप्त प्रतिवदनानुसार स्पष्ट है
 श्री शक्तिपद महता, मू अर्जन अमीन एवं अबल
 प्रकार का कार्य रोकने हेतु भी अनुरोध है।
 मूँस का सीमांकन करने हेतु अनुरोध है तथा किसी
 खाला 50-135, खसरा 50-688, रकबा-335 एकड़
 इनके मूखण्ड अर्थात मौजा-खलसीसाई, थाना 50-151,
 समर्पित कर सीमांकन में असागिस्टि होने का संयोजन देकर
 भारतीय पाठ्य, पति-540 शीमा पाठ्य, द्वारा आवदन